कार्यालय जिलाधिकारी,जनपद कानपुर देहात।

(खनन अनुभाग)

पत्र सं0 451/उपखनिज–का0दे0–अवैध भण्डारित मौरम नीलामी/2019   दिनांक सितम्बर 02,2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील भोगनीपुर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर अवैध रूप से भण्डारित मौरम को खान निरीक्षक द्वारा सीज किया गया था। अवैध भण्डारित मौरम निम्नवत् है:–

क्रम सं0	ग्राम	भण्डारण स्थल/गाटा सं0	अवैध भण्डारित मौरम की मात्रा(घनमीटर में)	भण्डारित खनिज की रायल्टी दर (प्रति घनमीटर) रूपये में	भण्डारित खनिज की कुल रायल्टी/न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू में)	अर्नेस्ट मनी (कालम – 6 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत (रू0 में)	अवधि जिसमें खनिज की निकासी की जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डिलौलिया बॉगर	कानपुर झॉसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्व0 हीरालाल इण्टर कालेज के प्रांगण	1050	150.00	1,57,500.00	39,375.00	एक माह
2	चौरा	गाटा सं0 405	200	150.00	30,000.00	7500.00	पन्द्रह दिवस
3	चौरा	गाटा सं0 304	300	150.00	45,000.00	11,250.00	पन्द्रह दिवस
4	बील्हापुर	गाटा सं0 68	375	150.00	56,250.00	14,063.00	पन्द्रह दिवस
5	बील्हापुर	गाटा सं0 400	300	150.00	45,000.00	11,250.00	पन्द्रह दिवस
6	भोगनीपुर	हिन्दुस्तान पेट्रोल के बगल में मो0इदरीश कबाडी का हाता	1500	150.00	2,25,000.00	56,250.00	एक माह

मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,कानपुर देहात द्वारा उक्त मौरम को नीलामी हेतु आदेशित किया गया है, तत्क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा नीलामी हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:–

1–उप जिलाधिकारी भोगनीपुर।

2–पुलिस क्षेत्राधिकारी,भोगनीपुर।

3–खान निरीक्षक,कानपुर देहात।

अतः उपरोक्त मौरम को नीलामी करने हेतु निम्नलिखित तिथि/स्थान नियत किया जाता है:–

तहसील का नाम	**नीलामी तिथि**	**स्थान**	**समय**
भोगनीपुर	**09.09.2019**	**तहसील सभाकक्ष स्थान पुखरायॉ**	**01:00 बजे**

शर्तेः—

1—भण्डारित उपखनिज मौरम को निर्धारित अवधि में हटाने के लिए नीलामी स्वीकृति कीं अवधि अथवा खनिज की मात्रा, जो पहले समाप्त हो, तक के लिये वैध मानी जायेगी।

2—नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक भण्डारण स्थल के लिए अलग—अलग अर्नेस्ट मनी, जो ऊपरलिखित कालम —7 में अंकित है, को नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व दिनांक 09.09.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी की धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिलाधिकारी कानपुर देहात के पक्ष में देय होगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोलीदाता का नाम, भण्डारण स्थल का नाम तथा मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

3—बोलीदाता द्वारा खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली बोली रायल्टी दर जो ऊपरलिखित कालम—5 में अंकित है,से कम बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि निर्धारित रायल्टी से कम दर पर बोली दी जाती है तो,बोलीदाता द्वारा दी गयी बोली मान्य नहीं होगी।

4—भण्डारित उपखनिज मौरम के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च रायल्टी दर के बोलीदाता का चयन उस स्थल में भण्डारित उपखनिज मौरम की निकासी के लिये किया जायेगा।

5—नीलामी में निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग नहीं ले सकते हैः—

(क) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।

(ख) जिसके विरूद्ध खनिज देय बकाया है।

(ग) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(घ) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न किया हो।

6—सर्वोच्च/सफल बोलीदाता को छोडकर शेष बोलीतदाताओं द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को वापस कर दिया जायेगा।

7— सर्वोच्च /सफल बोलीदाता द्वारा दी गयी सर्वोच्च दर को उस स्थल में भण्डारित उपखनिज मौरम की मात्रा से गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी, जिसमें से अग्रिम के रूप में 25 प्रतिशत जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि स्वीकृति आदेश मिलने के दो कार्य दिवसों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

8—सर्वोच्च /सफल बोलीदाता,यदि सर्वोच्च बोली की धनराशि को जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

9—बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कर एवं शुल्क यथा सम्पूर्ण रायल्टी पर आकर(टी0सी0एस0),डी0एम0एफ की धनराशि एवं स्टाम्प पेपर आदि भी जमा करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्ते—

1— नीलामी में भाग लेने से पूर्व भण्डारण स्थल में खनिज की उपलब्धता एंव पहुॅच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बोलीदाता स्वयं आश्वस्त हो लें। नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2—बोलीदाता मौरम के परिवहन हेतु प्रत्येक उपखनिज वाहन को वैध परिवहन प्रपत्र विवरण सहित जारी करेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नीलामी अनुसार शास्ति का भागी होगा।

3–बोलीदाता ऐसी रीति से उपखनिज का परिवहन करेगा,जिसे कोई सडक,सार्वजनिक मार्ग,भवन भू–गृहदि,सार्वजनकि भू–स्थल या सार्वजनकि सम्पत्ति को क्षति न पहुँचे।

4–बोलीदाता परिवहन किये गये उपखनिज का लेखा–जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्रतिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

5–बोलीदाता को समय–समय पर शासन/खनन निदेशालय/जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश/आदेश नियमानुसार दिये जायेगें, उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6–नीलामी बिना सूचना/कारण बताये,स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

7–मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा।

(पंकज वर्मा)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/
प्रभारी अधिकारी खनन
कानपुर देहात।

सख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात को अवलोकनार्थ।
2–पुलिस अधीक्षक,कानपुर देहात।
3–उप जिलाधिकारी भोगनीपुर।
4–पुलिस क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर।
5–सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीलामी प्रकिया को जनपद के बेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6–जिला सूचना अधिकारी,कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाने हेतु।
7–समस्त तहसीलदार को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8–खान निरीक्षक,कानपुर देहात।
9–नाजिर सदर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10–सीजशुदा मौरम के भण्डारणकर्ताओं को सूचनार्थ।

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/
प्रभारी अधिकारी खनन
कानपुर देहात।